<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गैस अथार्टी ऑफ इण्डिया लि0, पाता, औरय्या।**
प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक	**52 / 12, 19.09.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री गैस अथार्टी ऑफ इण्डिया लि0, पाता, औरय्या द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें निम्न प्रकार से प्रश्न पूछा गया है :-

for the purpose of payment of entry tax under the The U.P. Tax On Entry of Goods Into Local Areas Act, 2007 the entry tax is payable-

on the purchase price of Natural Gas, if it is consumed by the petitioner.

transportation charges are includible, if Natural Gas is sold by the petitioner.

2. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री नरेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी कम्पनी Natural Gas की खरीद ONGC, Hazira (Gujarat) से करती है, और अपनी ही पाइप लाइन द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्राहकों को डिलीवरी करके बिक्री करती है, प्रतिफल में नेचुरल गैस की कीमत के साथ ट्रान्समिशन चार्जेस भी प्राप्त किये जाते हैं, साथ ही उक्त गैस का प्रयोग रॉ मैटेरियल के रूप में LPG और Polymer के उत्पादन हेतु स्वयं किया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उसी स्थान में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर उद्ग्रहण व संग्रहण करने की व्यवस्था दी गयी है। वर्ष 1998 से नेचुरल गैस की खरीद पर प्रवेश कर अदा किया जा रहा था। वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक के वादों मे नेचुरल गैस की कीमत में ट्रान्समिशन चार्जेस जोड़ते हुए प्रवेश कर का निर्धारण करके, आदेश पारित किये गये, जिनको प्रथम अपील द्वारा confirm किया गया। द्वितीय अपील में वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा वादों को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है।

U.P. Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2007 की धारा-2 (h), दिनांक 01.11.1999 से पूववर्ती प्रभाव रखती है। जिसमें Value of Goods को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

Section-2 (h) :- Value of Goods " means the value of any goods as ascertained from original purchase invoice or bill and includes value of packing material, packing and forwarding charges, insurance charges, amounts representing excise duty, countervailing duty, custom duty and other like duties, amount of any fee or tax charged, transport charges, freight charges and **any other charges relating to purchase and transportation of such goods into the local area** in which goods are being brought or received for consumption, use or sale therein :

...2

उक्त से स्पष्ट है कि " any other charges relating to purchase and transportation of such goods into the local area " वहॉं applicable नहीं होंगे, जहॉं नेचुरल गैस स्वयं कनज्यूम्ड कर ली जाती है और अलग से कोई चार्ज नहीं होता है। अन्त में " charge " शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि charge शब्द का अर्थ expenditure, price required or demanded for services, cost or price है। स्वयं प्रयोग की गयी गैस में कोई चार्ज नहीं है। अत: ऐसी नेचुरल गैस की कीमत में, प्रवेश कर की देयता के उद्देश्य से, transportation charges सम्मिलित नहीं होंगे। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन के पत्र संख्या-1754, दिनांक 26.11.2012 से आख्या प्राप्त हुई। प्राप्त आख्या में कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित किया गया है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में कार्यवाही, वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित वादों में विचाराधीन है। अत: धारा-59 का प्रार्थना-पत्र विचार योग्य नहीं है। इसी प्रकार से धारा-59 की उपधारा-4 के अनुसार कोई प्रश्न जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा अपने धारा-59 के प्रार्थना-पत्र के पैरा-7 में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक के मामलों में transmission charges जोड़ कर, कर निर्धारण आदेश पारित किये गये है, जिनका समर्थन अपील स्तर से भी हुआ है और वाद पुन: वाणिज्य कर अधिकरण के द्वारा प्रतिप्रेषित कर दिये गये, जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचारणीय है। ऐसी स्थिति में, चूँकि प्रश्न उत्पन्न हो चुका है और वर्तमान में भी कर निर्धारण स्तर पर पुन: विचारणीय है इसलिए धारा-59 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-52 / 12 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 का उल्लेख करते हुए, जो प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित नहीं है और यह प्रश्न पूर्व से ही वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 के कर निर्धारण वादों में उत्पन्न हो चुका है और वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा उक्त वादों को प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त पुन: कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष विचारणीय है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) व धारा-59 (4) के प्राविधान के अनुसार प्रस्तुत धारा-59, प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन की आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार के संव्यवहार पर प्रवेश कर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न पूर्व से ही कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष व्यापारी के वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 के कर निर्धारण वादों के निस्तारण के समय उत्पन्न हो चुका है जो वर्तमान में भी वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा वादों को प्रतिप्रेषित कर दिये जाने के कारण कर

निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर विचारणीय है। जबकि व्यापारी द्वारा पुन: उसी प्रश्न को धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.09.2012 प्रस्तुत करते हुए विनिश्चय करने का अनुरोध, कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 के परिप्रेक्ष्य में किया है, जो उचित नहीं है क्योंकि विचारणीय प्रश्न, प्रवेश कर निर्धारण से सम्बन्धित है जिसको किसी कर निर्धारण वर्ष से अलग नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न पूर्व में ही उत्पन्न हो चुका है जो वर्तमान में भी कर निर्धारण स्तर पर विचारणीय है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में स्पष्ट प्राविधान है कि " कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन विनिश्चय करने के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा "। प्रार्थी व्यापारी के मामले में धारा-59 के अन्तर्गत पूछा गया प्रश्न कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पूर्व से ही उत्पन्न हो चुका है और वर्तमान में भी विचारणीय है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधान के अनुसार व्यापारी का धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसे अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

ह0 / 11.12.2012
(कामिनी चौहान रतन)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।